न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 118/2017

श्री राजू पुत्र श्री गबरू, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 119/2017

श्री गोपाल पुत्र श्री छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट

3. राजस्व अपील संख्या 120/2017

श्री गबरू पुत्र श्री चन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट

4. राजस्व अपील संख्या 121/2017

श्री भागू पुत्र श्री गबरू, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन

.....रेस्पोन्डेन्ट

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

दिनांक 08.12.2017

उपरोक्त चारों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दु नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

संक्षेप में चारों ही अपीलों के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2074 में श्री राजू पुत्र श्री गबरू, जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम रामपुरा डाबला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1414/1897 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 1 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान निर्माण कर, श्री गोपाल पुत्र श्री छीतर, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम रामपुरा डाबला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1414/1897 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 3 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व बाउण्ड्री निर्माण कर, श्री गबरू पुत्र श्री चन्द्रा, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम रामपुरा डाबला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1414/1897 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 1 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान निर्माण कर, खसरा नम्बर 1415 रकबा 2 बिस्वा चाह व खसरा नम्बर 1417 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 8 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार से बाड़ा बनाकर, इसी प्रकार से श्री भागू पुत्र श्री गबरू, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ने ग्राम रामपुरा डाबला के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1414/1897 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से रकबा 1 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान का निर्माण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 140/2017, 138/2017, 141/2017 व 139/2017 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 12.10.2017 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर अवैध निर्माण को विध्वंस करने के अतिरिक्त सामग्री जब्त सरकार कर नीलामी के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 12.10.2017 से अप्रसन्न होकर यह अपील मय धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोन्डेन्ट जरिये वकील उपस्थित हुए। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण व रिहायशी बाड़े का निर्माण कर रखा है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास कर रहा है एवं कृषि औजार एवं पशु आदि रखता है। इस प्रकार से अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर वर्षो से काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पिछले 25–30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता निर्मित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपीय आदेश में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी बताते हुए आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार की बेदखली कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट पुराने कब्जे के आधार पर विवादित भूमि के नियमन का अधिकारी है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होकर अत्यन्त निर्धन एवं अशिक्षित कृषक है तथा उनके पास उक्त आराजियात के अतिरिक्त रहने हेतु अन्य कोई स्थान नहीं है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं किया है बल्कि वर्षो पुराने समय से पक्का मकान बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है। उन्होने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना प्रथम पेशी पर ही आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व यदि मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाती तो स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक साईक्लोस्टाईल आदेश है जिसमें केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। उक्त आदेश नोन स्पीकिंग आदेश होकर निरस्त योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर विवादित भूमि को पुराने कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में नियमन करवाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान/बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबन्धित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि बावजूद सूचना वे स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इस तथ्य को स्वयं अपीलान्ट ने स्वीकार किया है, किन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो नियमानुसार अपीलान्ट को नोटिस तामील करवाया गया है तथा न ही उन्हे साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर ही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को नोटिस जारी कर दिनांक 12.10.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत आदेशित किया गया था तथा उसी दिन

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट के कथनानुसार दिनांक 02.10.2017 को परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाना न्यायोचित था।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार पीसांगन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 08.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अपर कलक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner